न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 09/17 **निर्णय दिनांकः—09.05.2019**

1. डूंगर सिंह पुत्र भीख सिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राधादेवी पत्नी कुंभाराम जाति मेघवाल निवासी गोकुल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16—01—2013
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 16—01—2013 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के धारण में चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 155/34 में 18 बीघा 8 बिस्वा, मुरब्बा

नम्बर 155/26 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/42 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/50 में 6 बीघा 11 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/51 में 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/43 में 14 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/35 में 24 बीघा 5 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 155/27 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 70 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड व 16 बीघा 4 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 87 बीघा 1 बीघा सामलाती खातेदारी भूमि है। अपीलांट के चिपते ही चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 155/27 में किला नम्बर 1, 2, 10 में 3 बीघा भूमि राजकीय भूमि है जिसके आवंटन का प्रथम अधिकारी अपीलांट है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स की सामलाती खातेदारी भूमि चक चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 155/34 में 18 बीघा 8 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/26 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/42 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/50 में 6 बीघा 11 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/51 में 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/43 में 14 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/35 में 24 बीघा 5 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 155/27 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 70 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड व 16 बीघा 4 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 87 बीघा 1 बीघा भूमि है। इसी मुरब्बें में किला नम्बर 1, 2, 10 की 3 बीघा आराजीराज भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी। उक्त भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया

गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट राधादेवी पत्नी कुंभाराम द्वारा चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 155/27 के किला नम्बर 1, 2 व 10 में कुल रकबा 03 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी

संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट के वादग्रस्त भूमि के आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट के धारण में पूर्व में ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त भूमि के आवंटन का पात्र नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—01—2013 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 21—12—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय उसकी पीठ पीछे किया गया था। जिसकी जानकारी आवंटन आदेश के आधार पर बेदखल करने का प्रयास करने पर हुई। विलम्ब क्षमा करने के लिए उचित कारणों में प्रार्थी की गैर मौजूदगी में या उसे सूचना दिये बिना की गई कोई कार्यवाही मुख्य कारण है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007 पार्ट II पेज 745 पेश किया है जो विचाराधीन प्रकरण में काफी हद तक प्रासंगिक हैं अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा किसी अज्ञात तिथि को राधादेवी से मुरब्बा नम्बर 155/27 के 3 बीघा आराजीराज स्मालपेच के आवंटन हेतु दरखवाश्त ली गई। उक्त दरखवाश्त पर पटवारी द्वारा कोई तिथि अंकित किये बिना रिपोर्ट की गई तथा दिनांक 16—11—2013 को राधादेवी के पक्ष में 3 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाये गये भूमि के नक्शें के मुताबिक आवंटन योग्य भूमि चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 155/27 के किला नम्बर 1, 2 व 10 था। जिसके चिपते हुए काश्तकार उसी मुरब्बें के सुभान सिंह, डूंगरसिंह, कानसिंह वगैरा थे तथा पड़ौसी मुरब्बें में राधादेवी थी। आवंटन अधिकारी को चाहिए था कि आवंटन नियम 1975 के नियम 8 से 11 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटन योग्य भूमि की सूचना जारी करते, पड़ौसी काश्तकारों को विधि सम्मत ढंग से सूचना तामील करवाते तथा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसी मुरब्बें के पड़ौसी काश्तकार को प्राथमिकता देते हुए प्रतिस्पर्धी कीमत के प्रस्ताव प्राप्त करते हुए पारदर्शी तरीके से आवंटन कार्यवाही सम्पादित करते। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में उसी मुरब्बें के पड़ौसी काश्तकार को सूचना दिये बिना पड़ौसी मुरब्बें की काश्तकार (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) को एक ही दिन में स्माल पेच आवंटन कर दिया। आवंटन अधिकारी का उक्त निर्णय मनमाना एवं विधि विरूद्व है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—01—2013 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे आवंटन नियम 8 से 11 की प्रक्रिया अपनाते हुए नये सिरे से स्माल पेच का निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर